इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर-जिला स्थानांतरण को मंजूरी दी

नई दिल्ली (ILNS): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर-जिला स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के साथ-साथ तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की तरह आया है।

उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद राज्य में 1 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, कोर्ट ने इस आदेश में एक शर्त भी लगाई है। उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में, यूपी सरकार के निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा है कि एक बार एक शिक्षक का स्थानांतरण हो जाने के बाद इसे फिर से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

आदेश में कहा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षकों को फिर से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यदि विशेष परिस्थितियां हैं तो इसे अन्य समय पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

इस मामले में, दिव्या गोस्वामी सहित सैकड़ों शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन शिक्षकों के निष्कासन के खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी जिन्होंने स्थानांतरण का लाभ उठाया था।

जानकारी के अनुसार, गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को फिर से मेडिकल ग्राउंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। अलग-अलग-अलग-अलग परिस्थितियों में भी विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वे विवाहित महिला शिक्षक जिनका विवाह से पहले तबादला हो गया था, लेकिन अब वे अपनी जरूरत के आधार पर ससुराल जिले में स्थानांतरण करना चाहती हैं, वे भी इस दायरे में आ सकती हैं।